अनुदान संख्या 32 – वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां
GRANT No. 32–PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त–	Voted–					
मूल	Original	7263,64,00		51075,13,00	50152,46,58	–922,66,42
पूरक	Supplementary	43811,49,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					921,89,80
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त–	Voted–					
मूल	Original	2809,23,00		8462,36,00	5390,40,10	–3071,95,90
पूरक	Supplementary	5653,13,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3071,95,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	86500.00	4126238.00	4126238.00	. .
पू.	S.	4050001.00			
पु.	R.	–10263.00			
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	579293.00	669616.77	669541.77	–75.00
पू.	S.	144670.00			
पु.	R.	–54346.23			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals					
मू.	O.	44115.00				
पू.	S.	106208.00		122739.33	122739.33	. .
पु.	R.	–27583.67				

(I) 65182.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 65180.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.65182.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.65180.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय" -

(A) Major Head "2416" – "Other Expenditure" -

(क) "वित्तीय समावेशन निधि के गठन के लिए सरकार के अंशदान के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी" - 2500.00 लाख रु.; और

(ख) "वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के गठन के लिए सरकार के अंशदान के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी" - 2500.00 लाख रु.।

(a) "Payment to NABARD towards Government's Contribution for Constitution of Financial Inclusion Fund (FIF)" – Rs.2500.00 lakhs; and

(b) "Payment to NABARD towards Government's contribution for constitution of Financial Inclusion Technology Fund (FITF)" – Rs.2500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme.

(ग) "कुओं की खुदाई द्वारा भू-जल के कृत्रिम रूप से रिचार्ज के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अदायगी" - 16840.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(c) "Payment to NABARD for artificial recharge of Ground Water through Dug Wells" - supplementary provision of Rs.16840.00 lakhs – due to non-release of funds to National Bank for Agriculture and Rural Development by the State Governments owing to late finalisation of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान'' - 43340.00 लाख रु. निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Grants to Industrial Finance Corporation of India" - Rs.43340.00 lakhs - due to non-release of funds owing to improved financial position of the Corporation.

(II) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अन्य व्यय - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी ऋण संस्थाओं को ब्याज आर्थिक सहायता'' - 13000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थीं, तथापि, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण 4500.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(A) Major Head "2416" – "Other Expenditure – Interest Subvention to Regional Rural Bank and Cooperative Credit Institutions" – funds of Rs.13000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4500.00 lakhs – due to receipt of less claims from National Bank for Agriculture and Rural Development.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए किए गए प्रभारों की अदायगी'' - 300.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थीं, तथापि, जो भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड से कम दावे प्राप्त होने के कारण 68.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions – Other Expenditure – Payment of Charges incurred for Setting up of Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited" – funds of Rs.300.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.68.38 lakhs – due to receipt of less claims from India Infrastructure Finance Company Limited.

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र राज्यों में ऋणभार ग्रस्त किसानों द्वारा देय ब्याज के अधित्याज के लिए सरकार का अंशदान'' - 18504.00 लाख रु. की बचत (64000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किसानों द्वारा देय ब्याज को माफ करने के लिए बैंकों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(A) "Government's contribution towards waiver of interest payable by farmers in debt stressed states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra - Waiver of Interest"- saving of Rs.18504.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.64000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from banks towards waiver of interest payable by farmers.

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(B) "Other Expenditure" -

(क) ''समुदाय आधारित विश्व स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को अदायगी'' - 2300.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को सुदूर और सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी'' - 4437.00 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जीवन बीमा निगम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अन्य व्यय - दीर्घकालीन सहकारी ऋण विन्यास का पुन: प्रवर्तन'' के अंतर्गत 58000.00 लाख रु. की बचत (60000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से राज्य सरकारों द्वारा निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - कर्जों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले में आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत 767.29 लाख रु. की बचत (775.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गोआन बैंकों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (61564.77 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2009 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 234039.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''किसानों के लिए ऋण राहत - ऋण राहत/कृषि कर्जों की माफी - कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत स्कीम, 2008 के लिए ऋणदात्री संस्थाओं को ब्याज की अदायगी'' - 14978.00 लाख रु.।

(a) "Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community Based Universal Health Insurance Scheme"- saving of Rs.2300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-implementation of scheme in remote and Tsunami affected areas.

(b) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens"-saving of Rs.4437.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation of India towards Pension Plan for Senior Citizens.

(IV) Under Major Head "2416" - "Other Expenditure - Revival of Long Term Cooperative Credit Structure"– saving of Rs.58000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.60000.00 lakhs) was due to non-release of funds by State Governments owing to late finalisation of the scheme.

(V) Under Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Subsidy in lieu of Concession in the rate of interest on Loans" – saving of Rs.767.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.775.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Goan Banks.

2. The above savings were partly (Rs.61564.77 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.234039.00 lakhs in February, 2009 under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" – "Debt Relief for Farmers - Debt Relief/Waiver of Agricultural Loans - Payment of Interest to lending institutions towards Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008" - Rs.14978.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2416" -

(क) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान - 202.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 127.00 लाख रु. था।

(ख) "अन्य व्यय" - "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान" - 29792.77 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - अन्य व्यय - प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को निर्गमित प्रतिभूतियों का मोचन" - 16592.00 लाख रु.।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (307195.90 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 565313.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 54 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित की गई राशि (307195.91 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) Major Head "2416" –

(a) "International Cooperation- Contribution to International Fund for Agricultural Development" - Rs.202.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.127.00 lakhs.

(b) "Other Expenditure – "Grants to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)" - Rs.29792.77 lakhs.

(C) Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions - Other Expenditure - Redemption of Securities issued to Stress Assets Stabilisation Fund (SASF)" - Rs16592.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.307195.90 lakhs) constituted 54 percent of the supplementary grants of Rs.565313.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 36 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.307195.91 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	190000.00			
पू.	S.	2.00	190001.00	190000.00	–1.00
पु.	R.	–1.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''5466'' अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	1436.00			
पू.	S.	415311.00	109552.09	109553.10	+1.01
पु.	R.	–307194.91			

(I) 190310.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 190231.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.190310.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.190231.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5465'' - ''सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश'':-

(A) Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector and other Undertakings":-

(क) ''राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने की अधिग्रहण लागत'' - 145000.00 लाख रु. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) ''राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने की अधिग्रहण लागत'' - 45000.00 लाख रु. राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का साझीदार होने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(a) "Acquisition cost of RBI stake in NABARD"- Rs.145000.00 lakhs - due to non-finalisation of acquisition of Reserve Bank of India stake in National Bank for Agriculture and Rural Development.

(b) "Acquisition cost of RBI stake in NHB" - Rs.45000.00 lakhs - due to non-finalisation of acquisition of Reserve Bank of India stake in National Housing Bank.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5466'' - ''अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातकालीन सहायता'' - 231.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत स्कीम का पहले से ही अस्तित्व में होने के कारण था।

(B) Major Head "5466" - "International Monetary Fund – Emergency Assistance for Natural Disasters" - supplementary provision of Rs.231.00 lakhs – due to scheme already in existence under revenue section of the grant.

(II) मुख्य शीर्ष ''5466'' - ''अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्रतिभूतियों में) को अभिदान'' के अंतर्गत 414705.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में

(II) Under Major Head "5466"-"International Monetary Fund - Subscription to International Monetary Fund (in securities)" - funds of Rs.414705.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained

भारत के कोटे को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण 306956.55 लाख रु. सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (190000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी पूंजीगत निधियां बढ़ाने के लिए नि:श्रेणी - I लिखत में अभिदान" के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 189999.00 लाख रु. था।

(II) बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 90.29 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं, जहां संपूर्ण व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

unutilised to the extent of Rs.306956.55 lakhs - due to non-materialisation of India's quota in International Monetary Fund.

4.(I) The above savings were partly (Rs.190000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector and other Undertakings-Subscription to Tier-I Instrument to Nationalised Banks to augment their Capital funds". Actual excess, however, was Rs.189999.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by an excess of Rs.90.29 lakhs under one head where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.